

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (वाणिज्य शाखा)

क्रमांक/जडि/मुअ(वा)/सी-1/एफ4(392)/प्रे 1675

दिनांक 30.7.2009

—: आदेश :-

विषय :- कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढे हुए भार की "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" में पूर्व प्रसारित आदेश जेपीआर5-550 दिनांक 8.6.09 में आंशिक संशोधन

निगम के आदेश क्रमांक 1279 दिनांक 8.6.09(जेपीआर5-550) द्वारा कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा देने के उद्देश्य से, " स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना" लागू की थी। यह योजना सभी कृषि उपभोक्ताओं के लिये 14 सितम्बर, 2009 तक प्रभावी है। वितरण समन्वय फोरम (डीसीएफ) की दिनांक 22.7.09 को हुई 12 वीं बैठक में पुनः विचार विमर्श कर इस योजना से सम्बन्धित निम्नलिखित निर्णय लिये गये है:-

- i. वर्तमान में स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना को उन कृषि उपभोक्ताओं को प्रदान करनी है जिनके कनेक्शनों को एक वर्ष से अधिक समय हो गया है। ऐसे उपभोक्ता मात्र धरोहर राशि जमा करवाकर लोड नियमित करवा सकते है।
- ii. जिन कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को एक वर्ष की अवधि नहीं हुई है वे भी उक्त योजना का लाभ ले सकते है किन्तु उनके लिये उन्हे धरोहर राशि के अतिरिक्त रु. 2500/- प्रति हार्स पावर (अतिरिक्त बढे भार पर) देने होंगे।
- iii. यदि पद (ii) में इंगित उपभोक्ता वर्तमान में चालू योजना का लाभ नहीं उठाते है उक्त योजना की समाप्ति पर चैकिंग के दौरान उनका लोड स्वीकृत लोड से अधिक पाये जाने पर ऐसे उपभोक्ताओं को प्रति एच.पी. रु.5000/- (2500+2500) पैसेन्टी जमा करानी होगी।

उपरोक्त आदेश, पूर्व में जारी आदेश क्रमांक जेपीआर5-550 में आंशिक संशोधन कर जारी किये जा रहे है। यह योजना पूर्व निर्धारित अवधि अर्थात् 14 सितम्बर, 2009 तक लागू रहेगी।

आज्ञा से,

M. P. S.
30.7.2009

(एन.एम.सरीन)

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

6/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक (वित्त) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
2. निदेशक (तकनीकी) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
3. सम्भागीय मुख्य अभियंता (संभाग/आर.पी.) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर/कोटा
4. उप मुख्य अभियंता (एम.एम.) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पिजीलेन्स) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर (30 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6. मुख्य कार्मिक अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
7. मुख्य लेखाधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
8. उप मुख्य अभियन्ता/अधीक्षक अभियन्ता (पावर), रीको जयपुर
9. अधीक्षक अभियन्ता () जयपुर डिस्कॉम, _____
10. सचिव, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
11. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी () जयपुर डिस्कॉम, _____
12. अधिशाही अभियन्ता (), जयपुर डिस्कॉम _____
13. अधिशाही अभियन्ता () जयपुर डिस्कॉम _____ को उनके क्षेत्राधिकार वाले सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/उप सख्तीय लेखाकार/लेखाकार के लिये 10 अतिरिक्त प्रतियों के साथ।
14. अधिशाही अभियन्ता (विद्युत) राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
15. अधिशाही अभियन्ता (ग्रीवेन्स) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
16. कंपनी सचिव, जयपुर डिस्कॉम/राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर
17. निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
18. निजी सचिव, सचिव (ऊर्जा), राजस्थान सरकार, जयपुर
19. निजी सहायक/तकनीकी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक ल.वि.प्र.नि. जयपुर
20. निजी सहायक/तकनीकी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
21. निजी सहायक - प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर/अजमेर डिस्कॉम, जोधपुर/अजमेर
22. मिडिया सलाहकार, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
23. जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
25. वरिष्ठ लेखाधिकारी (सीएडब्ल्यू-111) ऐजी आडिट शेड नं. 4/1 जयपुर
26. सहायक अभियन्ता () जयपुर डिस्कॉम _____
27. क्षेत्रीय कमिश्नर, लोकपाल, मिनी सचिवालय, कलेक्ट्री के पास, जयपुर
28. अधीक्षक अभियन्ता (आई.टी. एवं सीआरपी), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर को निगम के आदेश को निगम की वेबसाइट पर डालने हेतु।
29. _____

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

6/11